



कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०,

विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद,हरदोई

Phone & Fax No: 05852-261000,

E-mail : cddshahabad.hardoi@gmail.com

पत्रांक: 14745 / वि०वि०ख०शा०ह० / पी०एफ०

दिनांक : 17/09/2024

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश संख्या 469-चौदह/पाकालि/2015-16 के/2015 निदेशक (वितरण) दिनांक 25.04.2015 एवं पत्र संख्या 696 कार्य-चौदह/पाकालि/2015-16के/2015/निदेशक (वितरण) दिनांक 29.06.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में आपकी निजी नलकूप पोर्टल आवेदन क्रमांक 1008360122 के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर विद्युत भार एवं धनराशि जमा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र०सं०	आवेदक का नाम व पता	आवेदन क्रमांक	स्वीकृत भार	श्रेणी	प्रयोजन	रशीद सं० / दिनांक
1	श्रीमती भावना पत्नी श्री सदानन्द नि० ग्राम वासित नगर पो० व वि०ख० शाहाबाद, हरदोई।	1008360122	8 HP	LMV-5	निजी नलकूप	YIC42174657493/ 15.12.2023

उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन है-

सामग्री का मूल्य	रु०	134409.00
मीटर की कीमत	रु०	2921.00
मीटर लेबर चार्ज	रु०	2036.00
प्रतिभूति धनराशि	रु०	2400.00

जमा करने हेतु कुल धनराशि रु० **141766.00**

लघु सिंचाई विभाग जनपद लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में करायी गई मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजनान्तर्गत मध्यम गहरे नलकूप के ऊर्जाकरण हेतु अनुदानित धनराशि रु० 68000.00 (अड़सठ हजार रुपये मात्र)।

शेष जमा करने हेतु कुल धनराशि रु० **73766.00**

धनराशि शब्दों में- (तिहत्तर हजार सात सौ छहछठ रुपये मात्र)

नियम व शर्तें-

- विद्युत प्रणाली ओवरलोडेड होने के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि इकाई की कुल विद्युत आपूर्ति के ब्रेकडाउन कोडशेडिंग तथा लो वोल्टेज की समस्याएँ विद्यमान रहें।
- इस आदेश के निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा ऊपरलिखित विद्युतभार उपभोग न करने की दशा में भी उक्त स्वीकृतभार स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
- यह स्वीकृति इस शर्त के साथ भी प्रतिबन्धित है कि उपभोक्ता को इस विद्युतभार के उपभोग के पूर्व उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण परिषद (यू०पी० पायलुशनकन्ट्रोल बोर्ड) विभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा लाइसेंस (यदि आवश्यक हो) भी प्राप्त कर इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में यह आदेश निरस्त माने जायेंगे।
- उक्त संयोजन का विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के नियमों के अन्तर्गत की जायेगी, परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली को सुरक्षा हेतु समय-2 पर आवश्यकतानुसार रोस्टिंग तथा आपात कालीन रोस्टिंग की जा सकती है।
- विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के लागू शैड्यूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
- उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में कारपोरेशन को किसी भी ट्रंक लाइन को टेप करके अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
- किसी भी दशा में शहरी पोपक की नगरपालिका/नगरमहापालिका/टाउन ऐरिया की सीमा से बाहर बढ़ाकर विद्युतभार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
- स्वतन्त्र पोपक द्वारा विद्युतभार अवमुक्त करने हेतु कारपोरेशन द्वारा समय-2 पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि कालम 2 में उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम से पहले कोई कनेक्शन रहा हो तो उक्त स्वीकृत भार तब तक नहीं विमुक्त (रिलीज) किया जायेगा, जब तक उस पुराने कनेक्शन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया कारपोरेशन में धनराशि (यदि कोई हो) का पूरा भुगतान न कर दिया जाये।
- यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और परिषद के मध्य कोई न्यायाधिक विवाद अथवा कोर्ट के सलम्बित हो तो उस दशा में भी विद्युतभार विमुक्त (रिलीज) नहीं किया जायेगा।
- कारपोरेशन द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युतभार विमुक्त किया जायेगा।
- कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत आपूर्ति स्वतन्त्र पोपक (इन्डेपेन्डेंट फीडर) से की जायेगी। इस हेतु नया स्वतन्त्र फीडर बनाना आवश्यक हो तो उसके निर्माण के होने वाला व्यय स्वयं उपभोक्ता को वहन करना होगा।

14. विपरीत पणाली दशाओं/आपातकालीन रोस्टिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत/मांग बनाये रखने के लिये उपभोक्ता को संदेश दिया जाता है कि उपयुक्त क्षमता का जनरेटिंग सेट लगा ले, जिसके लिये परिपद की पुवानुमति अलग से प्राप्त कर सकते हैं।

अनुबन्ध हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं कार्यवाही -

1. मीटर निरीक्षण शुल्क के रूप में शासकीय कोश में 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क ₹500.00 जमा करना होगा।
2. ऊपर लिखी धनराशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्जज रुपये की रसीद की दो छायाप्रति प्रस्तुत करें।
3. 100.00 ₹0 नॉनजुडिशियल जनरल स्टाम्प तथा एम 10 ₹ के निर्धारित हलफनामे पर एक-एक फोटो चसपाकर किसी राजपत्रित/सामप्रधान/क्लाकप्रमुख/सदस्यविधानसभा/ लोकरागा द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
4. आवेदक के आधारकार्ड की एक छायाप्रति लायें, जिस पर फोटो लगाकर प्रमाणित करायें तथा पूरा नाम व पता एवं मोबाइल नं० लिखें।
5. कैंपीशटर खरीद की रशीद की छायाप्रति दो प्रतियों में।
6. यदि आपको ऊपर लिखी शर्तें मान्य हों तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे से 01 बजे दोपहर तक किन्हीं दो गवाहों सहित इस कार्यालय में उपस्थित होकर एग्जीमेंट पर हस्ताक्षर करें।
7. आपको कनेक्शन हेतु लाइन व सर्वरेशन बनवाने हेतु.....मजदूरों की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी।
8. आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित विद्युत भण्डार केन्द्र हरदोई से अपने वाहन द्वारा सामान की डुलाई करनी होगी आपके साथ कारपोरेशन का चतुर श्रमिक/स्किल्डलेबर/जावेगा तथा आप द्वारा श्रमिकों की व्यवस्था करने पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
9. मीटर पर निर्धारित क्षमता का कैंपीशटर लगायें।
10. आपको अपना पम्पहाउस बनवाने हेतु आवश्यक ईंट, बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

नोट:-

1. सीमेंट, बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तक एगिल पोल तथा स्ट्रे के लिए होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी, प्रति खम्भा तक सीमेंट 0.85 बोरी, बालू 4.55 घनफिट, मिट्टी 910 घनफिट, सीमेंट 0.35 बोरी, बालू 1.85 घनफिट मिट्टी 3.77 घनफिट।
2. कनेक्शन को दिजली तभी दी जायेगी जब आपकी वायरिंग पूरी होगी और बी0 एण्ड एल0 फार्म और मीटरडिक्लेरेशन फार्म (मिटर मुआयना के ट्रेजरी चालान सहित) इस कार्यालय में जमा करें।
3. यदि आप उपरोक्त शर्तें इस पत्र पाने के 90 दिन के अन्दर पूरी नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और आपका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कृपया ISI मार्क मीटरों व स्टार्टर का प्रयोग करें।
5. अन्तिम खम्भे से आपके परिसर तक जो केबिल लगेगा उसका मूल्य आपसे नहीं लिया गया है। जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी है।
6. उपरोक्त नियम व शर्तों में परिवर्तन होना सम्भावित है तथा संशोधन नियम शर्तें आपको मान्य होंगी। जमायोजनान्तर्गत कनेक्शन लेने पर धनराशि जमा करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त वरीयता क्रमानुसार संयोजन दिया जायेगा।
7. आपके परिसर पर मीटर स्थापित होने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत किया जायेगा। यदि बिना मीटर के कनेक्शन चलता पाया जायेगा तो आपके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से आप जिम्मेदार होंगे।

(विनोद कुमार)

अधिशारी अभियन्ता

१५४

दिनांक : 17/10/2024

पत्रांक 14745 / वि०वि०ख०शा०ह०/पी०एफ०

प्रतिसिप निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशारी अभियन्ता लघु सिंचाई खण्ड-लखनऊ।
2. उपखण्ड अधिकारी प्रथम/द्वितीय/तृतीय, विद्युत वितरण उपखण्ड शाहाबाद/पिहानी/सवायजपुर, हरदोई।

(विनोद कुमार)

अधिशारी अभियन्ता

१५४